प्रेषक,

निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 2502-4/बा0वि0परि0/स्था0/2018-19   दिनांक :24 जुलाई 2018

विषयः प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 10.08.2018 को प्रस्तावित "राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस" (नेशनल डी-वर्मिंग डे, एन.डी.डी.) मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बच्चों में एनीमिया एवं कुपोषण से बचाव हेतु प्रदेश में 01 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पेट के कीड़ों की गोली (टेबलेट एल्बेण्डाजॉल) खिलाये जाने हेतु "राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस" (नेशनल डी-वर्मिंग डे-एन.डी.डी.) वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।

सन्दर्भित प्रकरण में सूच्य है कि प्रदेश में बच्चों के पेट में कीड़ों की व्यापकता लगभग 76 प्रतिशत है। बच्चे पेट में कीड़े होने के कारण एनीमिया एवं कुपोषण के शिकार हो जाते है तथा उनका शारीरिक, मानसिक विकास बाधित होता है एवं स्कूल में उपस्थिति प्रभावित होती है। बच्चों को एनीमिया एवं कुपोषण से बचाव हेतु प्रदेश में 01 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पेट के कीड़ों की गोली (टेबलेट एल्बेण्डाजॉल) खिलाये जाने हेतु "राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस" (नेशनल डी-वर्मिंग डे-एन.डी.डी.) वर्ष में दो बार आयोजित किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें-

1. जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद/ब्लाक स्तर पर एन.डी.डी. के सम्बन्ध में आयोजित होने वाली समन्वय बैठकों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाये।
2. जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर एन.डी.डी. प्रशिक्षण में शत प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय।
3. जनपद स्तर पर प्रशिक्षित ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लाक स्तर पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एन.डी.डी. प्रशिक्षण दिया जाय।
4. सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं मुख्य सेविकाओं को ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु समुचित आदेश निर्गत करते हुए शत-प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय।
5. एन.डी.डी. हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक, प्रचार सामग्री, आई.ई.सी. सामग्री एवं आवश्यक मात्रा में टेबलेट एल्बेण्डाजॉल स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

6. एन.डी.डी. अभियान हेतु प्राप्त प्रचार सामगी का उचित प्रदर्शन किया जाय तथा दिशा निर्देशों के अनुसार जन जागरूकता बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास किये जाये।
7. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियॉं दिये गये निर्देशानुसार अपने सामने गोली पीसकर/चबाकर बच्चों को खिलाये।
8. एन.डी.डी./मॉप–अप डे के दिन बच्चों को दवा खिलाने हतु स्कूलों में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध किय जाये।
9. अभियान के दौरान जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाये एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र पर सूचना ब्लाक/अर्बन सी.एच.सी. के चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।
10. अभियान के पष्चात रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय ए0एन0एम0 को समय से उपलब्ध करा दी जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशानुसार आप अपने जनपद के अधीनस्थ अधिकारियों को समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में एन.डी.डी. कार्यक्रम हेतु आवश्यक निर्देश पारित करते हुए कार्यवाही तत्काल सुनिष्चित करें। साथ ही 'राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस' के सम्बन्ध में होने वाली गतिविधियों में अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर सकिय सहयोग प्रदान कर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनायें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

4/7/18

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या :   /तद दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. गार्ड पत्रावली।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/09/एन0डी.डी./2018-19/3391-2 दिनांक : 4/07/18
विषयः राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) अगस्त 2018 चरण के सफल क्रियान्वयन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश।

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पेट के कीड़े एक विश्वव्यापी जन स्वास्थ्य समस्या है। बच्चों में कृमि संक्रमण से जहाँ एक ओर बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होता है वहीं दूसरी ओर उनके पोषण एवं हीमोग्लोबिन स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों को पेट के कीड़ो की गोली (एल्बेन्डाजॉल 400 मि.ग्रा.) खिलाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं –

1. एनीमिया में कमी एवं पोषण स्तर में वृद्धि।
2. बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं वजन बढ़ना।
3. मानसिक एवं शारीरिक विकास में बढ़ोत्तरी।
4. अन्य बीमारियों से बचने हेतु प्रतिरोधी क्षमता बढ़ना।
5. स्कूल में उपस्थिति बढ़ने में सहायक होना।
6. बच्चों की याददाश्त में वृद्धि एवं स्कूल में सक्रिय रहना।

भारत सरकार के अनुसार राज्य में 01 से 19 वर्ष के बच्चों में कृमि संक्रमण 76 प्रतिशत है जिसके कारण प्रदेश में कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन साल में दो बार किया जाना है।

<u>प्रदेश का लक्ष्य है कि कृमि संक्रमण का प्रतिशत कम करना तथा एनीमिया की रोकथाम करना।</u>

उक्त के सदर्भ में राज्य में वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण का राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10 अगस्त 2018 को किया जाना है तथा मॉप-अप दिवस का आयोजन 17 अगस्त 2018 को किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Day -NDD)

1 से 19 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Day-NDD) दिवस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जायेगा, जिसमें पेट के कीड़ो की गोली (एल्बेण्डाजॉल 400 मि.ग्रा.) खिलायी जानी है। जिसका शुभारंभ विशिष्ट एवं गणमान्य व्यक्ति/जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से किया जायेगा। कार्यक्रम के संचालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं-

लक्षित आयु वर्ग-

- 1 से 5 वर्ष तक के सभी पंजीकृत बच्चों को एवं 6 से 19 वर्ष तक के स्कूल न जाने वाले सभी बालक/बालिकाए, ईंट भट्टा पर कार्य करने वाले श्रमिक एवं घुमन्तू लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से।
- 6 से 19 वर्ष (कक्षा 1 से कक्षा 12) तक के सभी छात्र/छात्राओं को-सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, प्राईवेट स्कूलो, मदरसों, पालिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के माध्यम से।

दवा/औषधि –

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निम्नानुसार पेट के कीड़े की दवा (टेबलेट, एलबेन्डाजॉल 400 मि.ग्रा.) दी जायेगी –

अपने स्तर से सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकरियों को उपलब्ध करा दें। प्रतिकूल प्रभाव होने पर गाइड लाइन के अनुसार कार्यवाही की जाये। जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर एन.डी.डी.एवं मॉप–अप डे के लिये कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायें। कन्ट्रोल रूम के नम्बर सभी आशाओं, आगनबाड़ी, टीचर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराये जाये। जनपद व ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिकूल प्रभाव प्रबन्धन के सबन्ध में विशेष रूप से चर्चा की जाये।

सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं मॉप–अप डे पर एल्बेंडाजॉल गोली, ओ.आर.एस. पैकेट, डोमपेरिडॉन टेबलेट, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट/सस्पेन्शन, पैरासिटामोल टेबलेट/सस्पेन्शन तथा सी.पी.एम. टेबलेट/सेट्रिजिन टेबलेट तथा इमरजेन्सी दवायें आदि की व्यवस्था, प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु उपलब्ध रहें। एन०डी०डी० एवं मॉप अप–डे के दिन आकस्मिक परिस्थिति में 108 एम्बुलेन्स का उपयोग किया जाये।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार है–

क्र०स०	विवरण	निर्धारित समय–सीमा	उत्तरदायित्व
जिला स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ			
1	**डी०सी०सी०एम०/अर्न्तविभागीय समन्वय बैठक**–यह बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कराई जाये जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बाल विकास एवं पुष्टाहार, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, प्राईवेट स्कूल के प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग के जनपदीय अधिकारी एवं जनपद के सक्रिय स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि प्रतिभाग करेंगे जिन्हें कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में रणनीति तैयार की जाये।	समन्वय बैठक : 01–07 जुलाई 2018	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
2	टेबलेट **एलबेन्डाजोल** का ब्लॉक सी.एच.सी./पी.एच.सी. तक पहुँचाना	ब्लाक तक पहुँचाना दवाई प्राप्त होते ही 03 दिनों के अन्दर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
3	आई.ई.सी. सामग्री की प्रिन्टिंग एवं वितरण तथा होर्डिंग लगवाना आदि।	प्रिन्टिंग: तत्काल जुलाई के प्रथम सप्ताह में ब्लाक तक पहुँचाना: प्रिन्ट होने के 03 दिनों में।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
4	जिला स्तरीय प्रशिक्षण : में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी.सी.पी.एम. (स्वास्थ्य विभाग से कोई 2), सी.डी.पी.ओ., बी.ई.ओ., राज्य स्तरीय जनपदीय नोडल अधिकारी, अपने समक्ष डी.सी.पी.एम., एवीडेन्स एक्शन के प्रतिनिधि के सहयोग से यह प्रशिक्षण करायेंगा।	जिला स्तरीय टी.ओ.टी. प्रशिक्षण 01–10 जुलाई 2018 तक जनपद स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
5	जनपद स्तर से स्वास्थ्य एवं सभी सहयोगी विभागों के अधिकारियों की योजनाबद्ध टीम बनाकर क्षेत्र में कार्यक्रम की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये। इन टीमों का गठन कार्यक्रम से तीन दिन पूर्व कर पत्र जारी किया जाये।	पत्र एन०डी०डी० से कम से कम 3 दिन पूर्व सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
ब्लॉक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ			
1	**बी०सी०सी०एम०/अर्न्तविभागीय समन्वय बैठक**:– यह बैठक खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/नगरीय प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी द्वारा आई.सी.डी.एस., बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज एवं जनपद के	प्रथम बैठक 10 से 15 जुलाई 2018 तक	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/नगरीय प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी

उपरोक्त तालिका अनुसार सभी गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जनपद के शहरी क्षेत्र में भी संचालित की जानी हैं। एन0यू0एच0एम0 द्वारा जनपदों में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यक्रम नोडल अधिकारी जनपदीय अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर से सहयोग प्राप्त कर जनपद में किसी एक केन्द्र को चयन कर नोडल शहरी ब्लॉक चिन्हित करें एवं समस्त गतिविधियां ग्रामीण ब्लॉक की भांति शहरी क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से संचालित करें।

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस की विभिन्न गतिविधियों के लिए जनपदों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशियों का विवरण निम्नवत है:–

1. <u>जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अभिमुखीकरण कार्यशाला/प्रशिक्षण हेतु (एफ0एम0आर0 कोड 9.5.2.19)</u> –old A9.5.5.2d

जनपद स्तर – जिला स्तरीय प्रशिक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, डी.सी.पी.एम (स्वास्थ्य विभाग से कोई 2), सी.डी.पी.ओ., बी.ई.ओ., राज्य स्तरीय जनपदीय नोडल अधिकारी, अपने समक्ष डी.सी.पी.एम., एवीडेन्स एक्शन के प्रतिनिधि के सहयोग से यह प्रशिक्षण करायेगा। इसके लिए प्रति जनपद रू0 5000 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ब्लॉक स्तर – राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस की तैयारी हेतु ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यशाला की जानी है, जिसमें कार्यक्रम के संचालन के विषय में जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षण में ब्लॉक की समस्त आशा, आशा संगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं कक्षा 01–12 तक के प्रत्येक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं प्राईवेट प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूल के नोडल अध्यापक प्रतिभाग करेंगे। ब्लॉक में प्रति बैच रू0 3000 की दर से कुल 06 बैच (03 बैच ब्लॉक के सभी अध्यापकों एवं 03 बैच आशा, आशा संगिनी एवं आगनबाड़ी कार्यकत्री) हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। (संलग्नक–1)।

नोट :– जनपद स्तर पर प्रशिक्षित ब्लॉक अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण निम्नानुसार किया जायेगा–

- *प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/नगरीय प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी एवं एच0ई0ओ0 द्वारा आशा संगिनी एवं आशा को।*
- *सी0डी0पी0ओ0 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/नगरीय प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी/एच0ई0ओ0 के सहयोग से।*
- *अध्यापकों को ए0बी0एस0ए0, बी0आर0सी0 द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/नगरीय प्रभारी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारीएवं एच0ई0ओ0 के सहयोग से।*
- *ए0एन0एम0 एवं मुख्य सेविका का अभिमुखीकरण विभागीय मासिक बैठक में प्रशिक्षण किया जाये।*
- *ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिभागियों की एक पद यात्रा आयोजित कर जनजागरूकता बढ़ाई जाये।*
- *ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठकों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं ए0एन0एम0 को अभी से कार्यक्रम के बारे में सम्बोधित किया जाय एवं निर्देशित किया जाय की वे समुदाय में वी0एच0एन0डी0 एवं गृहभ्रमण द्वारा लाभार्थियों को चिन्हित कर कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करें।*

<u>आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु (एफ0एम0आर0 कोड 12.2.6.)</u> : – old B.10.7.4.7

एन0डी0डी0 के प्रचार प्रसार हेतु आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु धनराशि निम्नवत् स्वीकृत की जा रही है।

<u>होर्डिंग</u> – राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस के आयोजन के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर सरकारी जिला अस्पताल (महिला एवं पुरूष) पर एक एक होर्डिंग (साईज 16X20 फिट) लगाया जाना है। होर्डिंग हेतु प्रति जनपद 02 होर्डिंग के लिए रू0 4000.00 प्रति होर्डिंग की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

बैनर :– सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूलों में बैनर लगाये जाने हैं। इसके अतिरिक्त सभी ब्लॉक की पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 एवं वी0 एच0 एन0 डी0 स्थल पर एक फ्लेक्स बैनर (साइज 4X2 फीट) लगाये जाने हैं। उक्त गतिविधि हेतु प्रति बैनर रू0 80 की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

<u>पोस्टर</u> :– राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस पर सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों, सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त, प्राइवेट, प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूलों में पोस्टर लगाये जाने हैं। प्रति विद्यालय (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं प्राईवेट) एवं आगनवाड़ी हेतु एक पोस्टर रू0 5.00 प्रति पोस्टर की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

<u>हैण्डआउट</u> :– प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक आंगनवाड़ी एवं प्रत्येक स्कूल के एक नोडल अध्यापक हेतु हैण्ड आउट उपलब्ध कराये जायेंगे जिनमें रिपोर्टिंग प्रपत्र भी संलग्न होंगे। ए.सी.एम.ओ./नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त हैण्डआउट सम्बन्धित को अवश्य प्राप्त हो जायें। प्रत्येक आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी वाला एवं सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा

* ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 से प्राप्त डेटा को संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार संकलित कर डेटाबेस नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें।

मीडिया जन जागरण एवं प्रचार हेतु (एफ0एम0आर0 कोड 11.7.3) :- Old B.10.3.4।

मीडिया जन जागरण एवं प्रचार हेतु एफ0एम0आर0 कोड 11.7.3 में रू0 5000 प्रति ब्लॉक (शहरी एवं ग्रामीण) प्रति जनपद की दर से स्वीकृत की जा रही है (सलग्नक–3)।
धनराशि का उपयोग निम्न गतिविधियों हेतु किया जाय–

* जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, बस स्टैण्ड, कचहरी, विकास भवन तथा ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक परिसर, तहसील, बी0आर0सी0, बस स्टैण्ड एवं अन्य मुख्य स्थानों पर दीवार लेखन (वॉल पेन्टिंग) 5x8 फिट की करायी जाये।
* दो प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्रों में डी0ए0वी0पी0 दर पर एन0डी0डी0 के विषय में विज्ञापन दिया जाना है।
* कृमि मुक्ति दिवस के दिन जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के उदघाटन के लिए आवश्यक व्यवस्था में।

आशा हेतु प्रोत्साहन (एफ0एम0आर0 कोड 3.1.1.1.6) :- B1.1.3.2.7

आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 1–19 वर्ष के स्कूल/आंगनबाड़ी न जाने वाले बच्चों (जिसमें ईंट भट्टों पर कार्य कर रहे बच्चे तथा घुमन्तू प्रवृत्ति के बच्चे भी शामिल हो) की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उन बच्चों को एन.डी.डी./मॉप–डे के दिन दवा खिलाने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर लेकर आयेगी। जिन आशाओं द्वारा उक्त सूची आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यक्रम में एन.डी.डी. एवं मॉप–अप डे के दिन बच्चों को दवा खिलाने हेतु बुलाया जायेगा।

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस के दिन आशा 6–19 वर्ष के स्कूल से अनुपस्थित एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों एवं आँगनवाडी केन्द्र में 1–6 वर्ष के बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की गोली खिलवाने में सहयोग करने हेतु रु0 100.00 प्रति आशा की दर से धनराशि में एफ0एम0आर0 कोड 3.1.1.1.6 पर स्वीकृत की जा रही है (सलग्नक –4)।

इसके लिये आशा को आंगनबाड़ी से सूची उपलब्ध कराने एवं बच्चों को दवा खिलाने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र पर बुलाया जाने के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्री अथवा ए0एन0एम0 से प्रमाण पत्र प्राप्त कर एम0ओ0आई0सी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

मॉनिटरिंग एवं समीक्षा–

एन.डी.डी.एवं मॉप–अप डे के दिन राज्य, जनपद, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक) एवं आई0सी0डी0एस0 के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसके लिये मॉनिटरिंग प्रपत्र का प्रोटोटाइप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्रपत्र वांछित मात्रा में छपवाकर तीनों विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाये। निरीक्षण के समय यदि कहीं पर गोली की आवश्यकता हो तो तत्काल ब्लॉक एम.ओ.आई.सी./कन्ट्रोल रूम को सूचित कर कार्यवाही करायें। जिले पर एल्बेन्डाजॉल (400 मि.ग्रा.) की 10000 एवं ब्लॉक स्तर पर कम से कम 4000 टेबलेट का बफर स्टॉक भी रखा जाये, जिससे कि यदि किसी केन्द्र पर गोली की कमी हो तो तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।

तीनों विभागों के सभी पर्यवेक्षकों को अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट उसी दिन शाम को मॉनिटरिंग फीडबैक के साथ अधीक्षक/ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जायें। एन.डी.डी. एवं मॉप–अप डे के दिन ब्लाक पर सभी पर्यवेक्षकों के साथ उसी दिन शाम को एक समीक्षा बैठक की जाये। अनुश्रवण के दौरान भरे हुए सभी प्रपत्र सम्बंधित ब्लाक/जिला स्तरीय सम्बंधित अधिकारी के पास समय से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
4. कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व शिक्षक समुदाय जागरूकता गतिविधियों जैसे–प्रभात फेरी, अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTA meeting), विद्यालय प्रबंधक समिति की बैठक (SMC Meeting) में कृमि मुक्ति के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे।
5. उपस्थिति रजिस्टर में गोली खिलाने के बाद एन.डी.डी. के दिन बच्चों के नाम के सम्मुख एक ✓ का निशान लगाना। मॉप–अप दिवस पर छूटे बच्चों को गोली खिलाना एवं उपस्थिति रजिस्टर में दो ✓✓ का निशान लगाना।
6. **जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवा ले रहे हैं उन्हें एल्बेंडाजोल गोली का सेवन नहीं कराया जाए।**
7. यदि दवा खिलाने के उपरान्त कोई गंभीर प्रतिकूल लक्षण हों तो हैण्डआउट में दर्ज ग्राम की आशा/ए.एन.एम./आर.बी.एस.के चिकित्सक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/कंट्रोल रूम को सूचित किया जाये ऐसी स्थिति में परिजनों को सूचित करते हुए आकस्मिक परिवहन व्यवस्था 108 के माध्यम से पीड़ित बच्चों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुचाया जाये।
8. प्रतिकूल घटना की सूचना हेतु प्रत्येक स्कूल में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., आशा, आर.बी.एस.के चिकित्सक, 108 एम्बुलेन्स एवं कन्ट्रोल रूम के संपर्क नम्बर की सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
9. समस्त शिक्षक/प्रधानाध्यापक द्वारा छूटे हुए बच्चों की सूची बनाकर मॉप–अप डे पर एल्बेण्डाजॉल गोली का सेवन कराया जाये।
10. शिक्षक अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित ए.एन.एम./एन0पी0आर0सी0/बी0ई0ओ0 को 22 अगस्त 2018 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के शिक्षक अपने ब्लॉक के ए0बी0एस0ए0 को व्हाट्सएप द्वारा भी उपलब्ध करा सकते है।

<u>बाल विकास एवं पुष्टाहार (आई. सी. डी. एस) विभाग की भूमिका :–</u>

ब्लॉक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रशिक्षण में शत–प्रतिशत मुख्य सेविका, आँगनवाडी कार्यकत्रिया उपस्थिति रहे। एन0डी0डी0 सामग्री एवं दवा की उपलब्धता प्रशिक्षण के पूर्व की जाये एवं इसका वितरण प्रशिक्षण के ठीक बाद उसी दिन कर लिया जाय।

- आँगनवाड़ी केन्द्रों में आँगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन पूर्व निम्न तैयारियां सुनिश्चित की जाये :–

1. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बैनर एवं पोस्टर का उचित स्थान पर प्रदर्शन।
2. कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकत्री समुदाय जागरूकता गतिविधियो जैसे – अभिभावक–आंगनवाड़ी बैठक, वी.एच.एस.एन.सी. की बैठक तथा पंचायत की बैठक में कृमि मुक्ति के लाभ के बारे में चर्चा करेंगी।
3. एलबेंन्डाजॉल खिलाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र पर काउन्टर की स्थापना एवं गोली को चूराकर दिये जाने हेतु चम्मच की व्यवस्था। <u>**यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे को आधी गोली एवं 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक गोली चूराकर पानी के साथ तथा 4 से 5 वर्षीय बच्चे गोली को एक गोली चबाकर पानी के साथ ही खिलायें।**</u>
4. बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
5. 6 से 19 वर्षीय स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे अथवा स्कूल से अनुपस्थित बच्चों की सूची ग्राम की आशा से प्राप्त करना ताकि उन्हें एलबेंडाजॉल की 1 गोली का सेवन चबा कर कराया जा सके।
6. आंगनवाड़ी केन्द्र रजिस्टर एवं आशा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में एन.डी.डी. के दिन दवा खाये बच्चों के सम्मुख एक ✓ का निशान तथा मॉप–अप दिवस पर छूटे बच्चों को गोली खिलाकर दो ✓✓ का निशान लगाना।
7. **जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवा ले रहे हैं उन्हें एलबेन्डाजोल गोली का सेवन नहीं कराया जाए।**
8. आंगनवाड़ीराष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस तथा मॉप–अप दिवस से पहले आशा/ए.एन.एम./आर.बी.एस.के चिकित्सक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सी.डी.पी.ओ./कंट्रोल रूम का दूरभाष नं आंगनवाड़ी केन्द्र पर रखेंगी ताकि गंभीर प्रतिकूल लक्षण होने पर हैण्डआउट में दर्ज ग्राम की आशा/ए.एन.एम./आर.बी.एस.के चिकित्सक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सी.डी.पी.ओ./कंट्रोल रूम को सूचित किया जा सके। ऐसी स्थिति में परिजनों को सूचित करते हुए आकस्मिक परिवहन व्यवस्था 108 एम्बुलेन्स के माध्यम से पीड़ित बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुचाया जाये।
9. समस्त छूटे हुए बच्चों को मॉप अप डे को एल्बेण्डाजॉल गोली का सेवन कराया जाये।

8. निदेशक, एम०सी०एच०, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, मध्याहन भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
14. अपर निदेशक, मलेरिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
15. परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०।
16. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
19. अपर निदेशक, मलेरिया, चतुर्थ तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
20. महाप्रबन्धक– राष्ट्रीय कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य, कम्यूनिटी प्रोसेस एवं एन०यू०एच०एम०, एस.पी.एम.यू.।
21. मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जनपदीय कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक सुनिश्चित करें कि जारी दिशा निर्देश सम्बन्धित तक उपलब्ध हो जाये तथा कार्यक्रम के निर्देश एवं रणनीति स्पष्ट हो जाये।
22. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एवीडेन्स एक्शन।
23. अन्य स्वैच्छिक संस्था के जनपदीय प्रतिनिधियों को यथा सम्भव सहयोग हेतु।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

938	JALAUN	10	0.05	60	1.80	1.85
939	JAUNPUR	21	0.05	126	3.78	3.83
940	JHANSI	9	0.05	54	1.62	1.67
941	KANNAUJ	9	0.05	54	1.62	1.67
942	KANPUR DEHAT	11	0.05	66	1.98	2.03
943	KANPUR NAGAR	11	0.05	66	1.98	2.03
944	KANSHIRAM NAGAR	8	0.05	48	1.44	1.49
945	KAUSHAMBI	8	0.05	48	1.44	1.49
946	KUSHINAGAR	16	0.05	96	2.88	2.93
947	KHERI	15	0.05	90	2.70	2.75
948	LALITPUR	7	0.05	42	1.26	1.31
949	LUCKNOW	9	0.05	54	1.62	1.67
950	MAHARAJGANJ	13	0.05	78	2.34	2.39
951	MAHOBA	5	0.05	30	0.90	0.95
952	MAINPURI	10	0.05	60	1.80	1.85
953	MATHURA	11	0.05	66	1.98	2.03
954	MAU	10	0.05	60	1.80	1.85
955	MEERUT	13	0.05	78	2.34	2.39
956	MIRZAPUR	13	0.05	78	2.34	2.39
957	MORADABAD	9	0.05	54	1.62	1.67
958	MUZAFFARNAGAR	10	0.05	60	1.80	1.85
959	PILIBHIT	8	0.05	48	1.44	1.49
960	PRATAPGARH	18	0.05	108	3.24	3.29
961	RAE BARELI	19	0.05	114	3.42	3.47
962	RAMPUR	7	0.05	42	1.26	1.31
963	SAHARANPUR	12	0.05	72	2.16	2.21
964	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	9	0.05	54	1.62	1.67
965	SANT KABIR NAGAR	10	0.05	60	1.80	1.85
966	BHADOI	7	0.05	42	1.26	1.31
967	SHAHJAHANPUR	16	0.05	96	2.88	2.93
968	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	6	0.05	36	1.08	1.13
969	SHRAWASTI	6	0.05	36	1.08	1.13
970	SIDDHARTHNAGAR	15	0.05	90	2.70	2.75
971	SITAPUR	20	0.05	120	3.60	3.65
972	SONBHADRA	9	0.05	54	1.62	1.67
973	Sultanpur	14	0.05	84	2.52	2.57
974	UNNAO	17	0.05	102	3.06	3.11
975	VARANASI	9	0.05	54	1.62	1.67
	Total Quantity	890	3.75	5,340	160.20	163.95

Sl.NO.	District Name	No. of block including 1 urban block	Total number of schools (govt)	Total number of private schools	Total number of AWCs	Total number of ASHAs	Total number of Schools(Govt+Private)and AWC	Fund for Hoarding 2 per district @ Rs 4000 per hoarding	Fund for Banner @Rs 30 per banner for 1 per Govt+Govt aided schools	Total Fund (Rs 5 per poster for 1 per Govt+Govt aided Schools+Pvt Schools+ AWC)	Fund for Handout with reporting format @ Rs 5 per handout for 1 per Govt+Govt aided schools+ Pvt. Schools + AWC	Community handbill for 10 for each ASHA & AWC	Fund for Community handbill @ Rs 1 per handbill	Flipcharts (trainers aid) (4/ block- 2 to Edu., 1 to Health and 1 to WCD)	Fund for Flipcharts (trainers aid)@ Rs 250 per FC	Beneficiary list form ASHA 2 form per ASHA	Beneficiary list form ASHA @ Rs 0.50 per form	Total Fund to be approved to districts for one round
948	LALITPUR	7	1589	413	1124	1025	3126	0.08	1.27	0.16	0.11	21,490	0.21	28	0.07	2,050	0.01	1.95
949	LUCKNOW	9	1562	2943	1978	2190	6483	0.08	1.25	0.32	0.36	41,680	0.42	36	0.09	4,380	0.02	2.54
950	MAHARAJGANJ	13	2274	815	2977	2779	6066	0.08	1.82	0.30	0.33	57,560	0.58	52	0.13	5,558	0.03	3.26
951	MAHOBA	5	1091	331	878	748	2300	0.08	0.87	0.12	0.10	16,260	0.16	20	0.05	1,496	0.01	1.35
952	MAINPURI	10	2542	1598	1839	1677	5979	0.08	2.03	0.30	0.26	35,160	0.35	40	0.10	3,354	0.02	3.14
953	MATHURA	11	2006	1490	2693	2014	6189	0.08	1.60	0.31	0.31	47,070	0.47	44	0.11	4,028	0.02	2.90
954	MAU	10	2016	818	2587	1869	5421	0.08	1.61	0.27	0.26	44,560	0.45	40	0.10	3,738	0.02	2.79
955	MEERUT	13	2610	1500	2118	2348	6228	0.08	2.09	0.31	0.30	44,660	0.45	52	0.13	4,696	0.02	3.38
956	MIRZAPUR	13	2421	789	2668	2221	5878	0.08	1.94	0.29	0.28	48,890	0.49	52	0.13	4,442	0.02	3.24
957	MORADABAD	9	2081	1618	2742	2525	6441	0.08	1.66	0.32	0.34	52,670	0.53	36	0.09	5,050	0.03	3.05
958	MUZAFFARNAGAR	10	2242	1630	2274	2255	6146	0.08	1.79	0.31	0.31	45,290	0.45	40	0.10	4,510	0.02	3.06
959	PILIBHIT	8	1962	711	1960	1526	4633	0.08	1.57	0.23	0.21	34,860	0.35	32	0.08	3,052	0.02	2.53
960	PRATAPGARH	18	3038	1745	3234	3146	8017	0.08	2.43	0.40	0.41	63,800	0.64	72	0.18	6,292	0.03	4.17
961	RAE BARELI	19	2880	844	2833	2352	6557	0.08	2.30	0.33	0.30	51,850	0.52	76	0.19	4,704	0.02	3.75
962	RAMPUR	7	2639	833	2700	1844	6172	0.08	2.11	0.31	0.27	45,440	0.45	28	0.07	3,688	0.02	3.31
963	SAHARANPUR	12	3019	2145	3410	3023	8674	0.08	2.47	0.43	0.43	64,330	0.64	48	0.12	6,046	0.03	4.15
964	SAMBHAL	9	1622	714	1800	1887	4136	0.08	1.30	0.21	0.22	36,870	0.37	36	0.09	3,774	0.02	2.28
965	SANT KABIR NAGAR	10	1697	418	1765	1650	3880	0.08	1.36	0.19	0.19	34,150	0.34	40	0.10	3,300	0.02	2.28
966	BHADOI	7	1249	564	1531	1438	3344	0.08	1.00	0.17	0.18	29,690	0.30	28	0.07	2,876	0.01	1.80
967	SHAHJAHANPUR	16	3439	1219	2911	2829	7569	0.08	2.75	0.38	0.35	57,400	0.57	64	0.16	5,658	0.03	4.32
968	SHAMLI	6	1378	675	980	1052	3033	0.08	1.10	0.15	0.14	20,320	0.20	24	0.06	2,104	0.01	1.74
969	SHRAWASTI	6	1476	270	925	1164	2671	0.08	1.18	0.13	0.12	20,890	0.21	24	0.06	2,328	0.01	1.79
970	SIDDHARTHNAGAR	15	2738	425	3112	2516	6275	0.08	2.19	0.31	0.30	56,280	0.56	60	0.15	5,032	0.03	3.62
971	SITAPUR	20	2468	1306	3756	3794	7550	0.08	1.99	0.38	0.44	75,500	0.76	80	0.20	7,588	0.04	3.88
972	SONBHADRA	9	2556	470	1825	1639	4851	0.08	2.04	0.24	0.20	34,640	0.35	36	0.09	3,278	0.02	3.02
973	SULTANPUR	14	2498	1023	2511	2715	6032	0.08	2.00	0.30	0.31	52,260	0.52	56	0.14	5,430	0.03	3.38
974	UNNAO	17	2291	1276	3059	2793	6626	0.08	1.83	0.33	0.36	58,520	0.59	68	0.17	5,586	0.03	3.38
975	VARANASI	9	1576	1152	3914	2463	6642	0.08	1.26	0.33	0.36	63,770	0.64	36	0.09	4,926	0.02	2.90
	Total Quantity	890	172,903	84,756	186,737	172,000	442,396	6.00	138.37	22.12	22.07	3,567,370	35.67	3,560	8.90	344,000	1.72	234.91

Grand Total (In Lakhs) 234.81

650 | 3.75 | 5,340 | 160.20 | 163.95

940	JHANSI	9	0.45
941	KANNAUJ	9	0.45
942	KANPUR DEHAT	11	0.55
943	KANPUR NAGAR	11	0.55
944	KANSHIRAM NAGAR	8	0.40
945	KAUSHAMBI	8	0.40
946	KUSHINAGAR	15	0.75
947	KHERI	16	0.80
948	LALITPUR	7	0.35
949	LUCKNOW	9	0.45
950	MAHARAJGANJ	13	0.65
951	MAHOBA	5	0.25
952	MAINPURI	10	0.50
953	MATHURA	11	0.55
954	MAU	10	0.50
955	MEERUT	13	0.65
956	MIRZAPUR	13	0.65
957	MORADABAD	9	0.45
958	MUZAFFARNAGAR	10	0.50
959	PILIBHIT	8	0.40
960	PRATAPGARH	18	0.90
961	RAE BARELI	19	0.95
962	RAMPUR	7	0.35
963	SAHARANPUR	12	0.60
964	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	9	0.45
965	SANT KABIR NAGAR	10	0.50
966	BHADOI	7	0.35
967	SHAHJAHANPUR	16	0.80
968	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	6	0.30
969	SHRAWASTI	6	0.30
970	SIDDHARTHNAGAR	15	0.75
971	SITAPUR	20	1.00
972	SONBHADRA	9	0.45
973	Sultanpur	14	0.70
974	UNNAO	17	0.85
975	VARANASI	9	0.45
	Total	890	44.50

विभिन्न चरणों का लक्ष्य एवं उपलब्धि

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस उत्तर प्रदेश (चरणवार विवरण)							
क्रम संख्या	विवरण/सूचकांक कुल जनपद	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	पंचम चरण	छठा चरण
		10 फरवरी 2016	10 अगस्त 2016	10 फरवरी 2017	10 अगस्त 2017	10 फरवरी 2018	10 अगस्त 2018
1	कुल जनपद	24	49	57	51	28	75
2	कुल आच्छादित ब्लॉक	210	516	649	606	268	820
3	कुल लक्ष्य	93.57	536.86	571.90	564.93	242.40	709.80
5	प्रतिशत कवरेज (एन0डी0डी0 के सापेक्ष)	88.06	63.73	84.49	84.52	86.54	